



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शनिवार, 24 मार्च, 2012 ई0

चैत्र 04, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 69/XXXVI(3)/2012

देहरादून, 24 मार्च, 2012

अधिसूचना

उत्तराखण्ड के राज्यपाल की यह राय है कि उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है,

अतः उत्तराखण्ड के श्री राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 333 के अन्तर्गत उनको प्रदत्त की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री आर0वी0 गार्डनर, प्रधानाचार्य, सेन्ट थोमस कालेज देहरादून को उत्तराखण्ड विधान सभा में सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं।

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।